अनुस्मरण पत्र
समयबद्ध/आज ही/ई–मेल
संख्या : /378/आठ–5–2023–85विविध/2003

प्रेषक,

चन्द्र श्याम मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद्
उ0प्र0।

2–उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
(आजमगढ़, आगरा, झांसी, प्रयागराज, हापुड़–पिलखुवां, बस्ती को छोड़कर)
उ0प्र0।

3– अध्यक्ष
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
(चित्रकूट को छोड़कर)
उ0प्र0।

4– **सदस्य सचिव,**
स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2023**

विषय : **उ0प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा वांछित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उसके अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी अद्यतन स्थिति अनुसार आरक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–समिति–02/आठ–5–2023–85विविध/2003, दिनांक 17.07.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (सामान्य) अनुभाग–1 के पत्र दिनांक 13.07.2023 के साथ संलग्न अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण कोटा पूरा करने सम्बन्धी प्रश्नों के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने के साथ ही अपने कार्यालय के विभिन्न संवर्गों में अद्यतन स्थिति के अनुसार संलग्न प्रारूप में पृथक–पृथक समूहवार, पदनामवार आरक्षण विषयक आख्या, समूहवार पदों का योग एवं अन्त में महायोग करते हुए समस्त विवरण संलग्न टेबुलर फार्म में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों का विवरण, उन्हें न भरने के कारणों सम्बन्धी आख्या, सीधी भर्ती के पदों में आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों एवं उन्हें न भरने के कारणों सहित आरक्षण आख्या शासन को प्रत्येक दशा में 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है। यह स्थिति उचित नहीं है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 17.07.2023 द्वारा वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक दशा में आज ही

हार्ड एवं साफ्ट कॉपी (एम0एस0वर्ल्ड/एम0एस0एक्सल) में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 की ई–मेल आई.डी. (awasanubhag5@gmail.com) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रकरण मा0 समिति से आच्छादित है अतएव समयबद्धता विशेष रूप से अपेक्षित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
25.7.2023
(चन्द्र श्याम मिश्र)
अनु सचिव।

संख्याः 1378 (1)/आठ–5–2023, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 एवं 4 को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों को उक्त निर्देशानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु स्वस्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(चन्द्र श्याम मिश्र)
अनु सचिव।